परिशिष्ट 'सत्रह' [8/12/2016]

प्रश्न क्र. 1 क्र. 0654. 5661 "परिशिष्ट–अ"

556

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक – 15-7-16

कमांक 1204 :: एनसीटीई के पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.–एम.एड. (एकीकृत), बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. (एकीकृत) पाठ्यक्रमों में सत्र 2016–17 के लिये जारी प्रवेश प्रकिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुसार प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया की तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

स.क.	कार्यवाही	तिथियॉ
1.	उपरोक्त पाठ्यक्रमों में महाविद्यालयवार रिक्त सीटों की पोर्टल पर उपलब्धता	15 जुलाई 2016
2.	(1) पूर्व चरणों में आंवटन हेतु पंजीकृत सभी अप्रवेशित आवेदको से महाविद्यालयों की पुनः वरीयता प्राप्त करना। (2) नवीन पंजीयन (व्यापम से बीएड एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में भाग लेकर प्रवेश के लिए पात्र हुए ऐसे परीक्षार्थी जो किसी भी कारण से अभी तक प्रवेश नहीं ले सके)	15 जुलाई से 20 जुलाई, 2016
3	मेरिट एवं वरीयता अनुसार अंतिम चरण में सीट आंवटन	23 जुलाई 2016
4	आंवटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु संबंधित हेल्प सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	23 जुलाई से 27 जुलाई 2016

2/ इसके साथ ही बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., काउंसलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण के ऐसे आवेदक जिन्हें प्रथम वरीयता आवंटित हुई थी किन्तु उनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है, ऐसे समस्त अप्रवेशित आवेदकों को भी काउंसलिंग प्रकिया के इस अंतिम चरण में वरीयता व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

3/ बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पूर्व निर्धारित कम से 05 महाविद्यालयों की वरीयता के स्थान पर आवेदकों को कम से कम 50 महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करनी होगी।

4/ बी.ए.बी.एड.,बी.एस.सी.बी.एड.. (एकीकृत चार वर्षीय पाठ्यक्रम) एवं बी.एड.–एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में **प्रवेश** हेतु पूर्व में आवेदकों से वरीयता प्राप्त की गई है जिसे अब प्रस्तावित संशोधित तिथियों अनुसार **पुनः वरीयता** प्राप्त की जाना है। साथ ही पात्र अपंजीकृत आवेदक एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर उपरोक्त सारणी अनुसार पंजीयन कराकर महाविद्यालय की वरीयता व्यक्त कर सकते है।

5/ बी.एल.एड. (एकीकृत चार वर्षीय पाठ्यक्रम) के प्रवेश हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को उपरोक्त सारणी के बिन्दु 2 अनुसार महाविद्यालयों की वरीयता समय सीमा में व्यक्त करनी होगी। तत्पश्चात् महाविद्यालय आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया में उक्त वर्णित समय अवधि में नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते है।

निरन्तर....2

29/11

6/ उपरोक्त एकीकृत पाठ्यक्रमों हेतु एक ही चरण की काउंसलिंग कराई जाने के कारण प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2016 की कंडिका 3.6, 3.7 एवं 3.8 के प्रावधानानुसार द्वितीय चरण में आरक्षित वर्गों की रिक्त सीटों को अनारक्षित वर्ग के आवेदकों से भरे जाने के प्रावधान को इसी एकमात्र चरण में प्रथमतः आरक्षित वर्गों/बाह्य राज्य के आवेदकों को उनकी वरीयता एवं गुणानुक्रम अनुसार सीट आवंटन करते हुए रिक्त रह गई सीटों को अनारक्षित वर्ग के आवेदकों से महाविद्यालय की वरीयता एवं गुणानुक्रम अनुसार भरा जायेगा।

7/ शेष प्रक्रिया यथावत् रहेगी।

(उमाकांत पाण्डेय)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा, म.प्र.

क्रमांक 1205 भोपाल, दिनांक– 15-7-16

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मा.राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3 निज सचिव, मा.मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4 सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाईन. निरुपम शांपिग माल, होशंगाबाद रोड, भोपाल।
5 कुलसचिव, समस्त पारंपारिक विश्वविद्यालय, म0प्र0।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म0प्र0।
7. समस्त कुलसचिव/प्राचार्य, संबंधित हेल्प सेंटर (पारंपारिक विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय), म0प्र0।
8 समस्त संबंधित शिक्षण एवं शारीरिक शिक्षण संस्थायें, मध्यप्रदेश।

..............की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा, म.प्र.

(डॉ. ए. एस. ...
उप ...
मध्यप्रदेश
उच्च शिक्षा
संचालनालय ...

"परिशिष्ट–ब"

568

निर्धारण 2020-21-5 (661) परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

//आदेश//

भोपाल,दिनांक –30-7-16

क्रमांक 1253/406/आउशि/16 :: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एससी.–बी.एड., बी.ए.–बी.एड., बी.एलएड., बी.एड.–एम.एड. (एकीकृत) पाठ्यक्रमों में सत्र 2016–17 के लिए जारी प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुसार प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया के अतिरिक्त चरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

स.क.	कार्यवाही	तिथियाँ
1.	अतिरिक्त चरण में आंवटन हेतु सभी अप्रवेशित पात्र आवेदकों से महाविद्यालय की वरीयता प्राप्त करना	01 अगस्त से 05 अगस्त 2016
4.	मेरिट एवं वरीयता अनुसार अतिरिक्त चरण में सीट आंवटन	08 अगस्त 2016
5.	आंवटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु हेल्प सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	08 अगस्त से 11 अगस्त 2016

2. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पूर्व निर्धारित कम से कम 05 महाविद्यालयों की वरीयता के स्थान पर आवेदकों को कम से कम 50 महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करनी होगी।

3. नियमानुसार सभी पात्र पंजीकृत अप्रवेशित आवेदक तथा ऐसे पात्र आवेदक जिन्होने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे भी पंजीयन कराकर उक्त अतिरिक्त चरण में सारणी अनुसार प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित हो सकेगें। साथ ही पात्र प्रावधिक अभ्यर्थी अर्हताकारी परीक्षा के अंक हेल्प सेंटर से अद्यतन कराकर प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित हो सकेगें।

4. इस अतिरिक्त चरण की प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया में मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो सकेगें।

5. उपरोक्तानुसार अतिरिक्त चरण हेतु उक्त तिथियों में जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2016 के अनुरुप काउंसलिंग प्रकिया सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक(प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 1254/406/आउशि/सम्बद्धता/16

भोपाल,दिनांक–30-7-16

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाईन. निरुपम शॅपिग मॉल, होशंगाबाद रोड, भोपाल।
3. कुलसचिव, समस्त पारंपारिक विश्वविद्यालय, म0प्र0।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म0प्र0।
5. समस्त कुलसचिव/प्राचार्य, संबंधित हेल्प सेंटर (पारंपारिक विश्वविद्यालय / शासकीय महाविद्यालय), म0प्र0।
6. समस्त संबंधित शिक्षण एवं शारीरिक शिक्षण संस्थायें, मध्यप्रदेश।

............की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक(प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

(डॉ. ए. एस. यादव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल